निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 226/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक लि. शाखा मनउपासना टावर, चौमू हाउस सर्किल, सी-स्कीम जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री मोहम्मद सलीम

2.श्रीमती जेनब सलीम

निवासी प्लाट नम्बर 5 चन्द्रशेखर आजाद कालोनी गंगापोल गेट के बाहर शिव मन्दिर के पास जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:- श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 30-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 24.05.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मोहम्मद सलीम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 5 का उत्तरी हिस्सा, स्कीम नम्बर 4 चन्द्रशेखर आजाद कालोनी गंगापोल गेट के बाहर शिव मन्दिर के पास जयपुर क्षेत्रफल 73.15 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल रूपये 14,75,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.02.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड उक्त वाहन का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी के सुयोगय अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.02.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः राष्ट्रदूत एवं बिजनिस स्टेण्डर्ड में दिनांक 26.02.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री मोहम्मद सलीम के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नम्बर 5 का उत्तरी हिस्सा, स्कीम नम्बर 4 चन्द्रशेखर आज़ाद कालोनी गंगापोल गेट के बाहर शिव मन्दिर के पास जयपुर क्षेत्रफल 73.15 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर